इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 फरवरी 2011—माघ 21, शक 1932

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2011

सूचना

एफ-1-6-09-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65, 95, 96, धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, कक्ष क्रमांक 340 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 77 में, उपनियम (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1ख) उपनियम (1क) द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन जहां तक उनका संबंध उक्त उपनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत मंजिली गाड़ियों से है, उक्त उपनियम के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 24 नवम्बर, 2010 से चार माह की कालावधि तक प्रवर्तित नहीं होंगे.".

NOTICE

Bhopal, the 10th February 2011

F-1-6-2009-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 65, 95, 96, clause

(e) of sub-section (2) of Section 138 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department during office hours at Room No. 340, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft before the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 77, after sub-rule (1a), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1b) The restrictions imposed by sub-rule (1a) in so far as they related to the stage carriages registered before the coming into force of said sub-rule, shall not be operative for a period of four months from the date of commencement of said sub-rule that is 24th November, 2010.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीपराज द्विवेदी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.